भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 184
(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया)
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि की निगरानी

184. श्री एन॰ रेड्डप्पः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्रीमती रमा देवीः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री बी॰ बी॰ पाटीलः
डॉ॰ निशिकांत दुबेः
कुमारी राम्या हरिदासः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अनुपालन के बारे में कोई आंकड़ा रखती है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के माध्यम से कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीएसआर निधि के उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने सीएसआर के लिए कंपनियों हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सीएसआर प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कंपनी-वार क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है; और
(ङ) देश की विभिन्न कंपनियों की सीएसआर निधि के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम क्या हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): कंपनियों द्वारा सीएसआर से संबंधित एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया संपूर्ण डाटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए कंपनियों द्वारा क्षेत्रवार और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक I और अनुलग्नक II पर उपलब्ध हैं।

जारी...2/-

(ख) और (ग) : सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, विनिश्चय करने, कार्यान्वित करने और निगरानी करने की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम की अनुसूची-VII में वे कार्यकलाप सूचीबद्ध हैं जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीति में सम्मिलित किया जा सकता है। अनुसूची VII भी व्यापक है और एमसीए के दिनांक 18 जून, 2014 के परिपत्र संख्या 21/2014 के अनुसार उदारतापूर्वक इसकी व्याख्या की जा सकती है। संपूर्ण सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से संपूर्ण डाटा राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल www.csr.gov.in पर सूचित करना अपेक्षित है जब कभी सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन होता है ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरुद्ध अभिलेखों की उचित जांच के पश्चात् और विधि की उचित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जाती है। अभी तक, 366 मामलों में अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएसआर से संबंधित सभी अपराध प्रशम्य हैं। अभी तक प्रशमन के लिए 121 आवेदन किए गए हैं और 37 मामलों में प्रशमन की कार्रवाई की गई है।

(ङ): मंत्रालय ने सीएसआर ढांचे की पुनरीक्षा करने और अधिक प्रभावी और संगत सीएसआर नियामक और नीति ढांचे को विकसित करने के लिए सिफारिश करने और पारिस्थितिकी बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी-2018) का गठन किया है। एचएलसी-2018 ने अपनी रिपोर्ट 07 अगस्त, 2019 को प्रस्तुत की है जो मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध है।

****

अनुलग्नक-I

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)

विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18
कृषि-वानिकी	57.85	43.45	12.18
पशु कल्याण	66.67	78.65	59.48
सशस्त्र सेनाएं, योद्धा, वीरांगनाए/आश्रित	11.14	37.86	27.72
कला और संस्कृति	119.17	305.57	283.81
निर्मल गंगा कोष	32.82	24.37	4.44
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	49.85	119.09	212.74
शिक्षा	4,057.45	4,500.82	4,594.64
पर्यावरण स्थिरता	796.69	1,076.46	1,076.42
लैंगिक समानता	73.85	72.60	20.48
स्वास्थ्य सेवाएं	2,569.43	2,484.05	2,192.16
आजीविका संवृद्धि परियोजनाएं	393.38	515.47	658.18
एनईसी/उल्लिखित नहीं है	1,051.16	388.96	0.76
केंद्र सरकार की अन्य निधियां	334.35	419.99	255.40
गरीबी, भूखमरी, कुपोषण का निवारण	1,252.08	606.55	635.93
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	218.04	158.80	158.20
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,376.16	1,554.78	1,477.29
स्वच्छ पेयजल	180.16	147.76	180.16
स्वच्छता	631.80	421.71	291.69
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	21.87	26.91	32.94
महिला गृहों और छात्रावासों की स्थापना	29.28	61.97	67.73
अनाथाश्रम की स्थापना	16.90	16.80	36.86
स्लम क्षेत्र विकास	14.10	51.49	35.11
सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	77.97	148.01	134.70
विशेष शिक्षा	125.84	164.83	122.56
स्वच्छ भारत कोष	325.52	184.06	213.79
प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	26.34	23.09	15.54
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	140.12	180.33	227.50
व्यावसायिक कौशल	344.39	373.46	391.73
महिला सशक्तिकरण	122.79	141.62	200.37
कुल योग	**14,517.19**	**14,329.53**	**13,620.51**

(दिनांक 30.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार डाटा) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

****

अनुलग्नक–II

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/ संघराज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.55	0.83	0.76
आन्ध्र प्रदेश	1,294.28	753.53	269.11
अरुणाचल प्रदेश	1.48	24.05	11.94
असम	164.60	269.92	86.23
बिहार	124.62	100.77	42.17
चंडीगढ़	5.34	21.99	20.51
छत्तीसगढ़	241.16	84.94	71.61
दादरा एवं नागर हवेली	12.03	7.58	6.93
दमन एवं दीव	2.43	2.63	20.09
दिल्ली	493.34	520.66	540.79
गोवा	30.15	37.89	53.34
गुजरात	551.43	870.84	768.96
हरियाणा	375.62	389.60	262.02
हिमाचल प्रदेश	52.29	24.03	60.53
जम्मू और कश्मीर	107.81	42.74	14.75
झारखंड	117.04	95.69	45.88
कर्नाटक	784.66	886.36	950.92
केरल	148.12	135.47	158.06
लक्ष्यद्वीप	0.30	-	2.07
मध्य प्रदेश	185.51	286.60	147.43
महाराष्ट्र	2,052.23	2,487.94	2,527.04
मणिपुर	6.28	12.35	4.03
मेघालय	5.59	10.97	5.49
मिजोरम	1.07	0.08	0.23
नागालैंड	0.96	0.92	0.36
ओडिशा	624.05	316.71	469.34
पुड्डुचेरी	6.46	7.43	6.51
पंजाब	69.93	75.83	88.51
राजस्थान	501.45	327.15	263.33
सिक्किम	1.98	6.83	6.84
तमिलनाडु	633.24	550.94	619.42
तेलंगाना	265.40	259.88	291.14
त्रिपुरा	1.47	1.25	1.83
उत्तर प्रदेश	423.79	327.48	298.40
उत्तराखंड	73.17	101.52	82.51
पश्चिम बंगाल	415.42	290.34	280.25
एनईसी/उल्लिखित नहीं	-	**7.63**	**132.04**
समस्त भारत*	**4,741.19**	**4,988.17**	**5,009.16**
कुल योग	**14,517.19**	**14,329.53**	**13,620.51**

(दिनांक 30.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार डाटा) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

*कपनियों ने या तो राज्यों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य चिह्नित किए गए हैं जिनमें परियोजनाएं चलाई गईं।